क्रमांक 162 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / 8068
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 29/09 / 2021

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने बाबत्।
संदर्भ :— 1. अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता प्रबंध संपादक, का आवेदन दिनांक 14.09.2021
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता, के आवेदन दिनांक 14.09.2021. पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 की सत्यापित प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। दिये गये निर्णय पर कार्यवाही करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचित करें।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

सही/-
(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र. 160 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / 8069 रायपुर दिनांक 29/09 / 2021

प्रतिलिपि :—

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड करें।
2. श्री पप्पू फरिश्ता प्रबंध संपादक, छत्तीसगढ़ का पहला मिड—डे अखबार 1, इंद्रावती कालोनी रोड, सिविल लाईन, गौरव पथ, रायपुर मो.नं. — 9425507771 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

28/09/2021
(अरूण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 162 / बो.प्र. / नि.स. / 2021 / ....
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /09/2021

अपील प्रक्ररण क्रमांक 162

अपीलार्थी		प्रतिअपीलार्थी
श्री पप्पू फरिश्ता प्रबंध संपादक, छत्तीसगढ़ का पहला मिड–डे अखबार 1, इंद्रावती कालोनी रोड, सिविल लाईन, गौरव पथ, रायपुर मो.नं. – 942550777	विरूद्ध	श्री एल.बी. शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.09.2021

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता, के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2021 की सुनवाई आज दिनांक 28.09.2021 को कक्ष क्र. FA-6, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग,रायपुर (छ.ग.), अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता एवं बजट कक्ष से श्री मोहम्मद इदरीश खान, सहायक ग्रेड–2, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर उपस्थित थे।

2 अपीलार्थी श्री पप्पू फरिश्ता ने यह अपील जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) के निर्णय दिनांक 01.09.2021 से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी तथा श्री मोहम्मद इदरीश खान, सहायक ग्रेड–2, के तर्क श्रवण किये गये।

4. अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2021 से सिंचाई विभाग के अंतर्गत विगत 10 वर्षों में सभी संभागों में कौन–कौन सा स्टापडेम निर्माण ठेकेदार सुनील अग्रवाल, रायगढ़ द्वारा किये गये की संपूर्ण दस्तावेजों के साथ जानकारी जनसूचना अधिकारी से चाही गई थी। वे इस तथ्य से व्यथित है कि उन्हें जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें पत्र दिनांक 01.09.2021 से यह सूचित किया है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में धारित नहीं है। अपीलार्थी के अनुसार प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के सभी संभागों की उक्त जानकारियां होना चाहिए। यदि प्रमुख अभियंता कार्यालय में उक्त जानकारी नहीं थी, तब जनसूचना अधिकारी द्वारा जल संसाधन विभाग के पृथक–पृथक संभागों को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त कर कम्पाइल करते हुए एक माह के भीतर प्रदाय की जानी थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई। जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी को यह अवगत कराना चाहिए कि किस धारा के अंतर्गत अपीलार्थी को यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी। जनसूचना अधिकारी द्वारा उनके आवेदन पत्र को विभिन्न जनसूचना अधिकारियों को हस्तांतरित किया जा सकता था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

(1)

5. जनसूचना अधिकारी के तर्क अनुसार मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा इस कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के हिस्से एक से अधिक दूसरे संभागीय कार्यालयों के पास उपलब्ध है। अतः उनके द्वारा आवेदक को सूचित किया है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय में धारित नहीं है तथा जल संसाधन विभाग के पृथक–पृथक संभागों को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (3) में दूसरे लोक प्राधिकरण का संदर्भ एक वचन में है न कि बहुवचन में। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी दूसरे जनसूचना अधिकारियों के पास हस्तांतरित नहीं की जा सकी, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत वहीं सूचना अपेक्षित है जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना को एकत्र किया जाना भी सूचना सृजन अंतर्गत आता है जो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है।

6 जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अन्य संभागों के कार्यालयीन पते उपलब्ध नहीं कराये गये।

7 श्री मोहम्मद इदरीश खान, सहायक ग्रेड–2, बजट कक्ष कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर के अनुसार बजट कक्ष में उक्त चाही गई जानकारी नहीं है एवं कक्ष द्वारा लेखाशीर्ष अंतर्गत आबंटन प्रदाय किया जाता है। विगत 10 वर्षों में निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं की ठेकेदारों अनुसार कोई भी जानकारी बजट कक्ष में संधारित नहीं होती।

8 अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :–

अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में धारित नहीं है। यह जानकारी जल संसाधन विभाग के अन्य कई संभागों के पास उपलब्ध होगी। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (3) में दूसरे लोक प्राधिकरण का संदर्भ एक वचन में है न कि बहुवचन में। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी दूसरे जनसूचना अधिकारियों के पास हस्तांतरित नहीं किया गया। अधिनियम के अंतर्गत वहीं सूचना अपेक्षित है जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना को एकत्र किया जाना भी सूचना सृजन अंतर्गत आता है जो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उचित है। परन्तु जनसूचना अधिकारी का यह भी दायित्व है कि वे अपीलार्थी को जल संसाधन विभाग अंतर्गत सिविल कार्यों के संभागों के पते उपलब्ध कराये, ताकि अपीलार्थी द्वारा पृथक–पृथक संभागों को आवेदन पत्र देकर उनसे जानकारी प्राप्त की जा सके। अतः जनसूचना अधिकारी, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिविल कार्यों के संभागों के पते की जानकारी अपीलार्थी को 3 दिवस के भीतर निशुल्क प्रदाय करें, ताकि अपीलार्थी द्वारा संभागों से जानकारी प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

A Sadhiye 28/09/2021

(अरूण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
प्रमुख अभियंता कार्यालय
जल संसाधन विभाग, रायपुर